राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

<u>वाद संख्या–33/2024</u>

<u>अनिल कुमार सिंह बनाम् साधना देवी।</u>

इस वाद की सुनवाई दिनांक–21.10.2024 एवं दिनांक–26.11.2024 को हुई, जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्त श्री रंजीत चौबे उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार सिन्हा उपस्थित। जिल प्रशासन की तरफ से श्री राजीव रौशन, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, हवेली खड़गपुर, मुँगेर विलम्ब से उपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद–पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी, जो कि मुँगेर जिल परिषद् के अध्यक्ष हैं के द्वारा अपने निर्धारित कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, जिससे जिला परिषद् मुँगेर का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष द्वारा अपने शक्तियों का दुरूपयोग किया जा रहा है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित जवाब दायर किया गया है, जिसमें वादी के आरोपों को खारिज किया गया है तथा यह उल्लेखित किया गया है कि **वादी के द्वारा लगाये जा रहे, आरोप बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(1) में वर्णित निरर्हता संबंधित प्रावधानों में सम्मिलित नहीं है।** अतः वाद को खारिज किया जाना चाहिए।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी का तर्क उचित है, क्योंकि वादी जिन आरोपों के आधार पर जिला परिषद् अध्यक्ष, मुँगेर को निरर्हित करना चाहते हैं, उनका वर्णन बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा 136(1) में न होकर धारा–70(5) के अधीन वर्णित है। **बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–70(5) के अधीन सुनवाई/कार्रवाई की अधिकारिता लोक प्रहरी/सरकार के अध्यधीन है।**

उक्त वर्णित स्थिति में वाद को खारिज करते हुये, वादी के सभी अनुरोधों को अस्वीकृत किया जाता है। वादी अपना परिवाद सक्षम निकाय/प्राधिकार के समक्ष लाने हेतु स्वतंत्र है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
02.12.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
02.12.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–33/2024 4187 पटना, दिनांक–3.12.24

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, **मुँगेर**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुँगेर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **मुँगेर** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादियों को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

03/12/24

विशेष कार्य पदाधिकारी